पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 82/2019

अनवान :

जिलेसिंह पुत्र लीलूराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. लीलूराम पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. लिछमा पुत्री लीलूराम पत्नी सरजीत जाति जाट हाल निवासी रामपुरीया तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. इन्द्रा पुत्री लीलूराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट हाल निवासी रामपुरीया तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचन्द शर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 डी.पी.एन. की जामबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया/पुराना 82/86 के पत्थर नं0 0 के मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 17, 18, 23, 24 व पत्थर नं0 0 के मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 3 की इस खाता की कुल 1.2650 हैक्टेयर नहरी एवं इसी प्रकार चक 4 डी.पी.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया/पुराना 83/86 के मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 6 से 9, 11 से 15 व मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 17 से 24, मुरब्बा नं0 60 के किला नं0 1 से 4, 8 से 10 इस खाता की कुल 6.0720 हैक्टेयर जिसमे गैर मुमकिन खाला 0.150 हैक्टेयर, व गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर वाद भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 लिलुराम के नाम दर्ज में अकेले प्रतिवादी सं0 1 लिलुराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गईं।

(उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.))

03.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 82/2019

अनवान :

जिलेसिंह पुत्र लीलूराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. लीलूराम पुत्र सांवतराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. लिछमा पुत्री लीलूराम पत्नी सरजीत जाति जाट हाल निवासी रामपुरीया तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. इन्द्रा पुत्री लीलूराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट हाल निवासी रामपुरीया तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : **वादी**
वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 03.05.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 डी.पी.एन. की जामबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया/पुराना 82/86 के पत्थर नं0 0 के मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 17, 18, 23, 24 व पत्थर नं0 0 के मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 3 की इस खाता की कुल 1.2650 हैक्टेयर नहरी एवं इसी प्रकार चक 4 डी.पी.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया/पुराना 83/86 के मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 6 से 9, 11 से 15 व मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 17 से 24, मुरब्बा नं0 60 के किला नं0 1 से 4, 8 से 10 इस खाता की कुल 6.0720 हैक्टेयर जिसमे गैर मुमकिन खाला 0.150 हैक्टेयर, व गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर वाद भूमि है नकल जमाबंदी दोनो खातो की सलग्न वाद है।

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 को उसके पिता सांवतराम पुत्र गणेशराम से प्राप्त हुई थी, इस प्रकार वाद भूमि वादीगण की दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमे वादी का प्रतिवादी के साथ जन्म से हक–हिस्सा है परन्तु वाद भूमि की बाबत वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी पारिवारिक समझौता मय राजीनामा दिनांक 26.01.2019 को हो गया था प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी की सगी बहने है जिन्होने वाद भूमि मे अपने पिता के जीवनकाल मे मिलने वाला अपना समस्त हक–हिस्सा वादी के पक्ष मे तर्क कर दिया तथा पारिवारिक समझौता नामा व राजीनामा मे यह तय किया की कुल दोनो खातो की वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, मे वादी व

03.5.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार होगें एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी होगें।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए दिनांक 26.01.2019 को हुए पारिवारिक समझौते व राजीनामा के मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर के वाद भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की कहा तो वे ऐसा करने को सहमत हो गए।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जिले सिंह पुत्र लिलुराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 7 डीपीएन के खाता सं0 82/86 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, चित्र प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 4 डीपीएन के खाता सं0 83/86 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 दीपलाना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 7 दीपलाना सम्वत् 2016 प्रदर्श 4, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है प्रतिवादी सं0 1 के पिता की कम उम्र में मौत हो गई इसलिए कृषि भूमि सीधे प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादीया सं0 2 व 3 का जन्म से हक हिस्सा है। पारिवारिक समझौता में प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर दिया। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने चक 7 डीपीएन व 4 डीपीएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि वादी की दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 4 दीपलाना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 7 दीपलाना सम्वत् 2016 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादी के पड़दादा गणेश वल्द शेरा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एंव प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना प्रदर्श 5 में लीलूराम पुत्र सांवतराम के वारिसान में एक पुत्र जिलेसिंह व दो पुत्रियां लिछमा व इन्द्रा होना व इनके अलावा अन्य कोई संतान नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 7 डी.पी.एन. की जामबंदी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या नया/पुराना 82/86 के पत्थर नं0 0 के मुरब्बा नं0 26 के किला नं0 17, 18, 23, 24 व पत्थर नं0 0 के मुरब्बा नं0 28 के किला नं0 3 की इस खाता की कुल 1.2650 हैक्टेयर नहरी एवं इसी प्रकार चक 4 डी.पी.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या नया/पुराना 83/86 के मुरब्बा नं0 54 के किला नं0 6 से 9, 11 से 15

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

व मुरब्बा नं0 55 के किला नं0 17 से 24, मुरब्बा नं0 60 के किला नं0 1 से 4, 8 से 10 इस खाता की कुल 6.0720 हैक्टेयर जिसमे गैर मुमकिन खाला 0.150 हैक्टेयर, व गैर मुमकिन रास्ता 0.013 हैक्टेयर वाद भूमि जो प्रतिवादी सं0 1 लिलुराम के नाम दर्ज में अकेले प्रतिवादी सं0 1 लिलुराम के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 व 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.06.19
(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़